

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या917...../भू अ0

दिनांक : 9/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—मोहनपुर, थाना—मधुपुर, थाना सं०— 216, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर मधुपुर पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—मोहनपुर, थाना—मधुपुर, थाना सं०—216, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.48 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—


क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3/K	63	रैयती	बाड़ी-2	0.47	अर्जून राय पे० जनार्दन राय वो अंबिका राय वो दीनदयाल राय पे० भूदेव राय वो द्वारिका राय वो दिवाकार राय वो मुरारी राय पे० जगदीश राय वो सुधीर राय वो हलधर राय पे० शीतल राय वो अखिलेश्वर राय पे० टीपन राय वो किरण देवी पति प्रकाश राय वो रविन्द्र राय वो हृदय नारायण पे० राधा रमण वो बंदी राय वो कामदेव राय वो सुकदेव राय पे० खेतु राय वो सुरेश राय वो कमलेश्वर राय पे० गोविन्द राय वो सरयु राय वो विष्णु राय पे० जय कुमार राय वो वासुदेव राय वो ममलेश्वर राय पे० जगानन्द राय वो पुरुषोत्तम राय वो महेन्द्र राय पे० रामेश्वर राय वो शंतु राय पे० परमेश्वर राय वो अनिल प्र० राय वो सुनिल प्र० राय पे० नागेश्वर राय वो बालदेव राय वो सत्यनारायण राय पे० राम प्र० राय वो ब्रह्मदेव राय वो कार्तिक राय पे० चुड़ी राय वो राम सेवक राय वो भुवनेश्वर राय वो चन्द्रमोली राय पे० छत्रधारी राय अंश समान सा० नवाडीह।	नावाडीह -214	नदी	अर्जित अंश दाग	अर्जित अंश दाग
2	4	250	रैयती	बाड़ी-2	0.20	महावीर महारा वो जानकी महारा पे० नन्दलाल महारा वो वीपन महारा पे० कार्तिक महारा वो हुरो महारा वो मोहरील महारा वो चौधरी महारा पे० रघु महारा कौम-चमार सा०-देह जमाबंदी रैयत।				
3	4	252	रैयती	बाड़ी-2	0.11	तथैव।				
4	4	253	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
5	4	254	रैयती	बाड़ी-2	0.21	तथैव।				
6	5	78	रैयती	बाड़ी-1	0.02	ललीत मंडल वल्द हुरो मंडल वो बेगरु मंडल वो कारु मंडल पिता प्रताप मंडल वो कीनु मंडल वो भीम मंडल पे० लोको				

						मंडल वो श्रवण मंडल वो महादेव मंडल वो नवानी मंडल पे० बाबूलाल मंडल वो ब्रजलाल मंडल वो शंखेसर मंडल पे० अमीन मंडल वो विनोद मंडल वल्द मनी मंडल कौम-सुंडी, सा०-देह जमाबन्दी रैयत।			
7	5	79	रैयती	बाड़ी-1	0.17	तथैव।			
8	5	80	रैयती	बाड़ी-1	0.25	तथैव।			
9	5	27	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।			
10	5	13	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।			
11	5	26	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।			
12	5	14	रैयती	बाड़ी-2	0.23	तथैव।			
13	5	80	रैयती	बाड़ी-1	0.015	तथैव।			
14	7	46	रैयती	बाड़ी-2	0.09	शोभा मंडल वो रजनी मंडल पे० महावीर मंडल वो जगेश्वर मंडल वो सुरज मंडल पे० महाराज मंडल वो लाल गोविन्द मंडल पे० बुधन मंडल वो चेतु मंडल वल्द जालो मंडल वो इसो मंडल वल्द गाजीमंडल कौम-सुंडी, जमाबन्दी रैयत।			
15	7	75	रैयती	बाड़ी-2	0.13	तथैव			
16	7	73	रैयती	बाड़ी-1	0.07	तथैव			
17	7	28	रैयती	बाड़ी-2	0.015	तथैव			
18	7	15	रैयती	बाड़ी-2	0.29	तथैव			
कुल रकवा-					2.48				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


9/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 917 / भू अ0, देवघर, दिनांक 9/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।